

13.3.26 पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष अनुपस्थित
वादी द्वारा न्यायालय में दावा प्रस्तुत
किया, न्यायालय वादी से भंड अपेक्षा
करता है की वह न्यायालय में
उपस्थित रहकर अपना पक्ष रखे
न्यायालय द्वारा न्यायालय
समय में बार-बार आवाजे लगाने
के उपरान्त भी उभयपक्ष न्यायालय
में अनुपस्थित रहने से यह जाकील
कैला है की वादी उक्त प्रकरण में कोई
रुची नहीं रखता, अतः प्रकरण अदम
डापरी - अदम पेखी में प्रकरण इसी
स्तर पर रवारी में किया जाता है
पत्रावली फेराल सुभाह डीका नम्बर से
कम किया जावे।

निर्णय रहने न्यायालय में सुनाया जाय।

